राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 07/2021 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये अमरेन्द्र कुमार मिश्र प्रवर्तन अधिकारी भीलवाडा (शहर)	बनाम	1. राकेश सिंघल फर्म मालिक मैसर्स मोनित फ्यूल स्टेशन धूलखेडा चित्तौड रोड भीलवाडा
–प्रार्थी		–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. श्री प्रकाश सारस्वत अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 20.10.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि ग्राम धूलखेडा ग्राम पंचायत मालोला तहसील भीलवाडा नेशनल हाईवे 79 पर स्थित मोनित फ्यूल स्टेशन, धूलखेडा का औचित्य निरीक्षण किया गया तो मौके पर राकेश सिंघल उपस्थित मिले जिन्होनें स्वयं को मोनित फ्यूल स्टेशन धूलखेडा का मालिक होना बताया। उनसे पम्प के संचालन के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा की एन.ओ.सी., विस्फोटक अनुज्ञप्ति एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा के बायोडीजल विक्रय हेतु अनुमति पत्र संबंधी कागजात, भूमि रूपान्तरण आदेश आदि उपलब्ध नहीं करवाये। जैव ईंधन प्राधिकरण का पंजीकरण आदि मांगे गये तो उन्होनें देवीलाल कुटीर सोप वाशवेल बायोडीजल दिनांक 27.03.2017 का एल.ओ.आई. की छायाप्रति प्रस्तुत की। पम्प परिसर में खडे टैंकर क्रमांक आर.जे. 27 जी सी 9963 का अवलोकन व निरीक्षण किया गया तो चारों कम्पार्टमेंट में बायोडीजल की मात्रा शून्य पायी गयी, किन्तु पम्प परिसर में स्थित भूमिगत टैंकर की डिप 185 सेंटीमीटर होने से डिप चार्ट अनुसार 19237.2 लीटर बायोडीजल भूमिगत टैंक में पाया गया। चूंकि फर्म मालिक द्वारा बिना आवश्यक दस्तावेज के बायोडीजल का अवैध भण्डारण किया जाकर अवैध विक्रय किया जाना पाया गया हैं जिससे मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

निवारण) आदेश 2005 एवं जैव ईंधन नियम 2019 के प्रावधनों का उल्लघंन किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया हैं। अतः वजह सबूत राकेश सिंघल मालिक फर्म मोनित फ्यूल स्टेशन के कब्जे से टैंकर कमांक आर.जे. 27 जीसी 9963 जब्त सरकार किया जाकर पुलिस थाना माण्डल के गोकुल चन्द का. नि. 441 को सुपुर्दगी में दिया गया। चूंकि फर्म द्वारा भूमिगत टैंक मे बायोडीजल का अवैध भण्डारण किया गया है, इसलिए इस टैंक को सील किया गया। साथ ही टैंक से एक – एक लीटर के दो एल्यूमिनियम की बोतल में सैम्पल लिया गया एवं लकडी के बॉक्स में उसे सील किया गया। इस कम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 30.04.2019 के अनुसार मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 6 (ए) 1 में संशोधन करते हुए जैव डीजल (बी 100) का हाई स्पीड डीजल में मिश्रण के लिए अनुमति प्रदान की गयी हैं। आदेश 2005 के खण्ड 6 (ए) 1 में हाई स्पीड डीजल के साथ बायो डीजल को शामिल किये जाने के कारण बायो डीजल आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आता हैं। चूंकि फर्म मैसर्स मोनित फ्यूल स्टेशन धूलखेडा चित्तौडगढ रोड द्वारा अधिसूचना दिनांक 30.04.2019 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाकर लाईसेंस, जैव ईंधन प्राधिकरण के पंजीयन, जिला मजिस्ट्रेट की एन.ओ. सी. भूमि रूपान्तरण आदेश, विस्फोटक अनुज्ञापत्र आदि के बिना बायोडीजल का अवैध भण्डारण व विक्रय किया जाना पाया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः निवेदन हैं कि जब्तशुदा टैंकर कमांक आर.जे. 27 जीसी 9963 मय 19237.2 लीटर बायोडीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत राजसात करने का आदेश फरमावें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15.06.2021 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध जांच रिपोर्ट एवं दस्तावेजात अनुसार जब्तशुदा वाहन टैंकर कमांक आर.जे. 27 जीसी 9963 के मालिक प्रो0 गंगाराम सोयल चामुण्डा रोड लाईन्स 15 बी ई क्लास, प्रतापनगर बाईपास चौराहा उदयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर जब्तशुदा वाहन टैंकर कमांक आर.जे. 27 जीसी 9963 को विपक्षी टेंकर मालिक द्वारा जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पेश किये जाने से दिनांक 16.07.2021 को वाहन सुपुर्दगी के आदेश जारी किये गये।

प्रार्थी की ओर से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट पेश की गयी। विपक्षी की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गयी।

प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र एवं रिपोर्ट के बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि बिना वैध अनुमति के फर्म मालिक राकेश सिंघल द्वारा बायोडीजल की अवैध बिक्री हेतु बायो डीजल का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया जिसमें भूमिगत टैंक में डिप चार्ट अनुसार 19237.2 लीटर बायोडीजल का भण्डारण

अति. जिला कलक्टर

किया जाना पाया गया। वक्त निरीक्षण फर्म मालिक द्वारा भण्डारण एवं बिक्री हेतु कोई वैध कागजात यथा जिला कलक्टर की एनओसी, राजस्थान जैव ईंधन प्राधिकरण का पंजीकरण आदि प्रस्तुत नही किये गये जिससे फर्म द्वारा बायोडीजल का कारोबार अवैध सिद्ध हुआ। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार की गजट अधिसूचना कमांक पी–13032 (16)/18/2017 – सीसी दिनांक 4.6.2018 एवं जैव डीजल बी (100) के उत्पादन, विपणन/वितरण एवं विक्रय हेतु गजट अधिसूचना कमांक पी – 13039 (18)/1/2018 सीसी (पी– 26825) दिनांक 30.04.2019 की अनुपालना में बायोडीजल के भंडारण, विपणन/वितरण एवं विक्रय हेतु राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 लागू किया गया। जैव ईंधन नियम 2019 के अन्य प्रावधान अनुसार – '' जैव डीजल (बी–100) की बिक्री करने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों हेतु मात्रा और सुरक्षा दूरी संबंधी मानदण्ड श्रेणी बी पेट्रोलियम उत्पादों के लिए लागू मानदण्डों अनुसार होगें क्योंकि इसे हाईस्पीड डीजल के साथ मिश्रित किया जाना होता है जो श्रेणी बी पेट्रोलियम उत्पाद हैं।'' राजस्थान जैव नियम 2019 के तहत राजस्थान जैव डीजल (बी–100) विक्रेताओं हेतु कुछ शर्तें लागू होती है – जिला प्रशासन द्वारा जारी व्यावसायिक भूमि उपयोग का प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी अनापत्ति / अनुमति , बाट माप तौल विभाग द्वारा प्रमाणीकरण, जीएसटी पंजीयन संख्या, पेन नम्बर, एमएसएमई में पंजीयन, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान द्वारा जारी बीआर नम्बर। वक्त निरीक्षण फर्म द्वारा इन शर्तों के तहत कोई भी दस्तावेज पेश नही किये गये। ऐसे मामलों में मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के अधिसूचना कमांक एफ17 (9) खा.वि./विधि / 2008 दिनांक 18.06.2009 अनुसार मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 3 (5) सपठित खण्ड 4 के द्वारा परिवहन के लिए बायोडीजल के अनाधिकृत उपयोग को प्रतिबंधित किया गया हैं एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही के निर्देश जारी किये गये हैं। निवेदन हैं कि जब्तशुदा टैंकर कमांक आर.जे. 27 जीसी 9963 मय 19237.2 लीटर बायोडीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अन्तर्गत राजसात करने का आदेश फरमावें।

जब्तशुदा वाहन टैंकर कमांक आर.जे. 27 जीसी 9963 के मालिक प्रो0 गंगाराम सोयल चामुण्डा रोड लाईन्स 15 बी ई क्लास, प्रतापनगर बाईपास चौराहा उदयपुर ने प्रकरण के संबंध में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मोनित फ्यूल स्टेशन पर की गयी कार्यवाही से प्रार्थी के वाहन का कोई सरोकार नहीं है। उक्त टैंकर से बायो डीजल का किसी प्रकार से उपयोग नही लिया जा रहा था व जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा प्रार्थी के वाहन टैंकर का अवलोकन व निरीक्षण किया गया तो चारों कम्पार्टमेंट में बायोडीजल की मात्रा शून्य पायी गयी, जिससे स्पष्ट हैं कि उक्त निरीक्षण कार्यवाही में प्रार्थी के वाहन का कोई सरोकार नही हैं। उक्त वाहन की तफ्तीश में कोई आवश्यकता नही रही हैं

अति. जिला कलक्टर

और वाहन खुले में रखा होने से खराब हो रहा हैं। प्रार्थी उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी होकर मालिक हैं। न्यायालय द्वारा जब भी उक्त वाहन को तलब करेंगें तो प्रार्थी अपने स्वयं के खर्चे पर उपस्थित कर देगा। निवेदन हैं कि उक्त मामलें मे जब्तशुदा वाहन टैंकर नम्बर आर.जे. 27 – जी.सी. 9963 को प्रार्थी की सुपुर्दगी मे दिलाया जाये।

विपक्षी ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रसद विभाग व उपखण्ड कार्यालय द्वारा जो सिलिंग की कार्यवाही की गयी वह विधि विरूद्व हैं। उक्त पम्प भारत सरकार की गजट अधिसूचना 2017 के अनुसार स्थापित किया है। उक्त 2017 अधिनियम के क्लॉज 6(1) में बायोडीजल को रिटेल आउटलेट के माध्यम से बेचे जाने की अनुमति हैं। माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा सिविल रिट नं. 4405/2018 मैसर्स कोट्यार्क इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में दिनांक 24.04.2018 को पारित निर्णय में क्रम संख्या 08 एवं 10 में बायो डीजल का विक्रय सीधे तौर पर किया जाना अंकित हैं। राजस्थान सरकार के ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग (कार्यालय बायोफ्यूल प्राधिकरण) आदेश क्रमांक प 6(83)/ग्रा.वि. / बी.एफ. ए/नियम 2020 /21 के ओदश में स्पष्ट किया गया है कि पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन, भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न 21.09.20/ 11.12.20 एवं 16.036.21 द्वारा अवगत कराया कि बायोडीजल के भण्डारण एवं परिवहन एवं विक्रय पेट्रोलियम नियम 2002 के अन्तर्गत नहीं आते हैं। इसमें विस्फोटक लाईसेंस / अनुमति अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार गजट नोटिफिकेशन दिनांक 30.04.2019 की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान जैव ईंधन 2019 लागू किया गया है जिसका नवीन एल ओ आई विपक्षी द्वारा प्राप्त कर लिया गया हैं। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 23.07.2021 की अनुपालना देवी लाल सोमानी प्रोप. देवीलाल कुटीर उद्योग के पक्ष में फैसल किया गया हैं। बायोडीजल का यह प्रकरण अतंर्गत 6 ए का नही बनता हैं। केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया हैं कि बायोडीजल विस्फोटक पदार्थ की श्रेणी में नही आता हैं। निवेदन हैं कि विपक्षी के जवाब एवं दस्तावेज को रिकार्ड पर लिया जाकर विपक्षी के पम्प को शीघ्र मुक्त करा राहत प्रदान करावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिस अनुसार पाया गया कि बायोफ्यूल प्राधिकरण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्रांक/ 6 (36)/ग्रावि/बी.एफ.ए./कम्पनीज/2017/1371 दिनांक 10.10.2019 अनुसार राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 के भाग – 5 में अंकित बिन्दू संख्या 14 के क्रम में विभाग द्वारा संबंधित जिले के जिला रसद अधिकारी को उनके संबंधित क्षैत्राधिकार में बायोडीजल (बी – 100) थोक/खुली बिक्री को विनियमित करने हेतु समस्त बायोडीजल विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं एवं विक्रेताओं की नियमित जांच करने एवं अवैध बिक्री पर रोक लगायी जाकर कार्यवाही किये जाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया हैं। चूंकि जिला रसद अधिकारी भीलवाडा द्वारा उक्त प्रकरण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6

अति. जिला कलक्टर

ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है, एवं माननीय सेशन न्यायाधीश भीलवाडा के दाण्डिक अपील संख्या 151/2021 निर्णय दिनांक 15.07.2021 में अंकन किया हुआ हैं कि "आदेश 2005" की धारा 2 (r) में अनाधिकृत कब्जे को परिभाषित किया गया है जिसमें "आदेश 2005" में वर्णित प्रावधानों के तहत पेट्रोलियम पदार्थ व उसके मिश्रण को अनाधिकृत कब्जा होना बताया हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 का अवलोकन करें तो धारा 2 (क) (Viii) में पेट्रोलियम व पेट्रोलियम पदार्थ को आवश्यक वस्तु बताया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में विनिर्दिष्ट रूप से बायोडीजल को आवश्यक वस्तु नहीं बताया गया हैं। बायोडीजल पेट्रोलियम व पेट्रोलियम उत्पाद की श्रेणी में आता हो, इसे भी उक्त अधिनियम की धारा 2 में उल्लेखित नहीं किया गया हैं। My Own Eco Energy Private Ltd. Vs Unio Bank of India & Ors. में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 03.02.15 में बायोडीजल को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 2 (r) के अतंर्गत पेट्रोलियम व पेट्रोलियम पदार्थ नही मानकर आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध कारित नही किया जाना बताया है। ऐसी स्थिति में बायोडीजल आवश्यक वस्तु अधिनियम की परिभाषा में नही आता हैं।

ऐसे में जिला रसद अधिकारी भीलवाडा द्वारा उक्त प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता हैं। उक्त प्रकरण में बायोफ्यूल प्राधिकरण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के नियमों के अधीन जिला रसद अधिकारी भीलवाडा जो कि प्राधिकृत अधिकारी हैं, प्रकरण में नियमानुसार उचित कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र हैं। अतएव–

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत सिद्ध नही होने से अस्वीकार किया जाता हैं। बायोफ्यूल प्राधिकरण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्रांक/6 (36)/ग्रावि/बी.एफ.ए./कम्पनीज/2017/1371 दिनांक 10.10.2019 नियमों के अधीन जिला रसद अधिकारी भीलवाडा जो कि प्राधिकृत अधिकारी हैं, प्रकरण में नियमानुसार उचित कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा